

2026:AHC:53543

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9656/2026

श्रीमती सुदामा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मोहम्मद वसीम, विक्रम जीत

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. बी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 2-अपर आयुक्त (न्यायिक), बरेली मंडल, बरेली को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 03.09.2025 के पुनर्विचार/ प्रत्यावर्तन प्रार्थना पत्र का यथाशीघ्र निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026



Translated Version. Not for Legal Use.